न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144 / 2019(2019 / 00197)

1. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री विष्णु कुमार साहू—वकील प्रार्थी
श्री तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक— 2.11.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी की खातेदारी की आराजी वाके केकडी तहसील केकडी में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
2666—2445	4354	34.12	गै.मु.आबादी

उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज होती चली आ रही है वर्णित आराजी प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की है। उक्त आराज के पुराने खसरा नंबर राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2041 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में निम्न प्रकार से अंकित व दर्ज है।

जमाबंन्दी संवत् 2041 के अनुसार

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1—1167	2743	16—13—00	तलाब
1—1167	2744	00—05—01	चाह
1—1167	2745	02—01—10	रास्ता
1—1167	2746	03—15—00	नला
1—1167	2747	188—15—00	आबादी

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी संवत् 2041 व उससे पूर्व के समस्त रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि इस प्रकार से राजस्व रिकोर्ड व प्रार्थी के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि इस प्रकार से राजस्व रिकोर्ड संवत् 2041 व उससे पूर्व के समस्त राजस्व रिकोर्ड में तालाब, चाह, रास्ता, नाला, आबादी दर्ज है लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि को जमाबंदी सम्वत् 2041 के पश्चात् राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों ने भूल व सहवन से उपरोक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा नंबर 2743, 2744, 2745, 2746 को पुराने खसरा नंबर 2747 के नये खसरा नंबर 4354 में मिलाते हुये अर्थात शामिल कर तालाब, चाह, रास्ता, नाले की भूमि को नये खसरा नम्बर 4354 में मर्ज करते हुये एक खसरा नम्बर बना दिया गया जो कि कानूनन रूप से गलत व अवैध, शून्य है जिसको वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दुरस्त कर खसरा नंबर 2747 के नये खसरा नम्बर 4354 में से अलग कर जमाबन्दी संवत् 1349 फसली, जमाबन्दी संवत् 2016—19, जमाबन्दी संवत् 2024, जमाबन्दी संवत 2041 में दर्ज पुराने खसरा नंबर 2743, 2744, 2745, 2746 व नक्शा सन् 1941—42

Scanned with OKEN Scanner

के मुताबिक किया जाना न्यायोचित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) No.3109/2011 जगमाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका D.B CIVIL WRIT PETITION No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 तथा राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा याचिका संख्या 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 19.5.2012 में और राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशो दिनांक 29.3.2011, 25.4.2011, 26.6.2012 के द्वारा भी तालाब चाह, नाला व उसके रास्ते की भूमि को तालाब, चाह, नाला व उसके रास्ते की भूमि के रूप में ही दर्ज करने के आदेश प्रदान कर रखे है और अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी व श्रीमान को भी अपने पत्र क्रमांक/सम/18/7945–46 दिनांक 19.12.2018 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट प्रेषित कर स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 वर्णित आराजी के नये खसरा नंबर 4354 जिसके पुराने खसरा नंबर 2747, 2743, 2744, 2745, 2746 जमाबंदी संवत् 2041 व उससे पूर्व के समस्त जमाबन्दियों में आबादी, तालाब, चाह, रास्ता, नाला के रूप दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 4354 के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड को दुरस्त कर जमाबन्दी संवत् 2041 में दर्ज खसरा नंबर 2743, 2744, 2745, 2746 व नक्शा सन् 1941–42 के मुताबिक तालाब, चाह, रास्ता, नाला के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित आवश्यक है प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल कारण जब अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को अपने पत्र क्रमांकः/सम/2018/7945–46 दिनांक 19.12.2018 को प्रेषित किया तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1में वर्णित आराजी खसरा नंबर 4354 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2041 में दर्ज पुराने खसरा नंबर 2747, 2743, 2744, 2745, 2746 व नक्शा सन् 1941–42 के मुताबिक राजस्व रिकोर्ड व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। **अप्रार्थी तहसीलदार केकडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/1521 दिनांक 30.12.2019 द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किया जो निम्नानुसार है–**

कस्बा केकडी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 2666 के खसरा नंबर 4354 रकबा 34.12 किस्म गै.मु.आबादी म्युनिस्पिल कमेटी केकडी के नाम दर्ज रिकोर्ड है जो कस्बा केकडी की घनी एवं मुल आबादी क्षेत्र का खसरा नंबर है

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 4354 रकबा 34.12 के क्रमशः 2747 रकबा 30.40, 2743 रकबा 2.70, खसरा नंबर 2744 रकबा 0.05, खसरा नंबर 2745 रकबा 0.33, खसरा नंबर 2746 रकबा 0.64 क्रमशः साबिक खसरा नंबर बने है वर्किंग जमाबंद संवत् 2041 के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 2747 रकबा 188–15–00 किस्म आबादी, खसरा संख्या 2743 रकबा 16–13–00 किस्म तालाब, खसरा संख्या 2744 रकबा 00–05–01 किस्म चाह, खसरा संख्या 2745 रकबा 02–01–10 किस्म रास्ता, खसरा संख्या 2746 रकबा रकबा 03–15–00 किस्म नाला म्युनिशिपल कमेटी केकडी के नाम दर्ज है।

भु–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नंबर 2747/30.40, 2743/2.70, 2744/0.05, 2745/0.33, 2746/0.64 को मर्ज करते हुए हाल खसरा नंबर 4354 एक ही खसरा नंबर बना दिया है उक्त साबिक खसरा नंबर रिकार्ड के म्युनिसिपल कमेटी केकडी के नाम दर्ज है।

साबिक खसरा नंबर 4743/16–13–00, 2744/00–05–01, 2745/02–01–10, 2746/03–15–00, 2747/188–15–00 को हाल रिकोर्ड एवं नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अंकन हेतु संयुक्त रूप से मौका देखा गया। तथा तहसील हाजा मे उपलब्ध संवत् 2027–28 का नक्शा जीर्ण–शीर्ण है उक्त नक्शे में खाबिक खसरा नंबर 2743, 2744, 2745, 2746, 2747 फटे हुए एवं स्पष्ट नही है जिससे वर्तमान नक्शा मौका का मिलान नही किया जा सका। वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत पुरा लेख अधिकारी राजस्थान राज्य अभिलेखागार अजमेर द्वारा जारी नकल नक्शा की छायाप्रति से वर्तमान नक्शा का मिला करने पर अन्तर आया है साबिक खसरा नंबर 2743 गै.मु.तालाब में पानी भरा हुआ है तालाब के चारो ओर घनी आबादी बसी हुई है घनी आबादी बसी होने से वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे में अन्तर होने से

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान खसरा नंबर 4354 में मर्ज साबिक खसरा नंबर 2747, 2743, 2744, 2745, 2746 की सीमाओ का सींमांकन कर उक्त खसरा नंबर की प्रस्तावित तरमीम सम्भव नही है अतः भु–प्रबन्ध विभाग द्वारा ही उक्त खसरा नम्बरान का सीमांकन कर साबिक खसरा नंबरान की तरमीम किया जाना संभव है

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। तहसीलदार केकडी के दस्तावेज मौका पर्चा, व राजस्थान राजस्थान अभिलेखागार अजमेर द्वारा जारी नकल नक्शा व वर्तमान नक्शा का अवलोकन किया। वर्तमान में घनी आबादी बसी होने से प्रार्थी के उपलब्ध कराये गये नक्शे में अन्तर होने से वर्तमान खसरा नंबर 4354 में मर्ज साबिक खसरा नंबर 2747, 2743, 2744, 2745, 2746 की सीमाओ का सीमांकन कर उक्त खसरा नंबर की प्रस्तावित तरमीम सम्भव नही है अतः हाल खसरा नंबर 4354 रकबा 34.12हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी के स्थान पर वर्किंग जमाबंदी अनुसार साबिक खसरा नंबर 4743/16–13–00 यानी 2.70हैक्टर किस्म गै.मु.तालाब, 2744/00–05–01 यानी 0.05हैक्टर किस्म गै.मु.चाह , 2745/02–01–10 यानी 0.33हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता , 2746/03–15–00 यानी 0.64 किस्म गै.मु.नाला, 2747/188–15–00 यानी 30.40 गै.मु.आबादी हाल खसरा नंबर 4354 में किस्म रूप में जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner